# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-562RAAJodhpur2022-331RTA225 Jogaram ors Vs Jeeyaram etc

01. जोगाराम पुत्र श्री हीराराम
02. मोहनराम पुत्र श्री जोगाराम
जातियान् जाट, निवासीगण- खाबड़ा खुर्द, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

**ब**

**ना**

**म**

01. जीयाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट, निवासी- खाबड़ा खुर्द, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
02. श्रीमान् तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

**प्रफोर्मा पक्षकार**

03. श्रीमती रामी पुत्री जोगाराम पत्नी बालाराम जाति जाट, निवासी- खाबड़ा खुर्द, तहसील औसियां, जिला जोधपुर, हाल निवासी- पांचला खुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
04. श्रीमती देवी पुत्री श्री जोगाराम पत्नी ओमाराम, जाति जाट, निवासी- खाबड़ा खुर्द, तहसील औसियां, जिला जोधपुर, हाल निवासी- केलावा कलां, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
05. श्रीमती लीला पुत्री श्री जोगाराम पत्नी हीराराम जाति जाट, निवासी- खाबड़ा खुर्द तहसील औसियां, जिला जोधपुर, हाल निवासी- श्रीराम नगर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 725/2021 जीयाराम बनाम जोगाराम इत्यादि**

---

उपस्थित-

10.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री स्वरूपराम बामणियॉ ,अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो
श्री शैलेन्द्र शर्वा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन से पांच

## नि र्ण य

**दिनांक : 18 सितंबर 2023**

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 725/2021 अनवान जीयाराम बनाम जोगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1806 रकबा 3.1565 हैक्टेयर, खसरा नं. 1913/2 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नं. 1913/4 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नं. 2078 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नं. 2096 रकबा 0.0647 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 2125/2 रकबा 0.5261 हैक्टेयर ग्राम खाबड़ा खुर्द तहसील औसिया के संबंध में बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये

18.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट संख्या एक की खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट संख्या एक मौके पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवलोकन किये बिना तथा उस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सरासर गलत वंशावली पेश कर वाद प्रस्तुत किया है। वंशावली में बहिनों को दर्शाया नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जो कानूनन पारित नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स को उनकी खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य एवं कृषि विकास कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। अपीलांट संख्या एक की उपरोक्त कृषि भूमि है, जिसके कारण अपीलांट संख्या दो के द्वारा अपीलांट संख्या एक की सेवा चाकरी व देखभाल व पालन पोषण करता है जिसके कारण ही अपीलांट संख्या दो के पक्ष में बख्शीश नामा निष्पादित करवाया, जिस पर अपीलांट संख्या दो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांटगण को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि बाबत के.सी.सी. ऋण प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित बख्शीशनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का दावा एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट संख्या एक वृद्ध व्यक्ति है

15.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा अपीलांट संख्या दो सरकारी सेवा में होने से वह बाहर रहता है। इस कारण अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो पायी। अपीलांट संख्या दो अवकाश पर आने तथा अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्स द्वारा जानबूझ कर किसी विशेष उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु विलंब नहीं किया है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जुलाई 2022 को निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट संख्या एक को अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक भूमि को बख्शीश करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित होने के समय अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 में मिथ्या कथन किये है। अंत में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए तथा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित कथनों पर विश्वास करते हुए न्याय हित में अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2064-2067 ग्राम खाबड़ा खुर्द तहसील औसियां के खाता संख्या 291 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 290 के मुताबिक विवादग्रस्त भूमि पूर्व में अपीलांट संख्या एक जोगाराम के पिता हीराराम के नाम से दर्ज रही है जो हीराराम की फौतेदगी पर विरासतन नामांतरकरण संख्या 962 दिनांक 08.01.2009 के जरिये अपीलांट संख्या एक जोगाराम एवं उनके भाई चुनाराम के नाम दर्ज हुई। जिससे प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष के पुश्तैनी आराजी होना प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए वादग्रस्त आराजी के बेचान/हस्तांतरण पर रोक लगाई है जो अदालत हाजा की राय में संतुलित एवं विधिसम्मत आदेश है।

जहां तक अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कृषि विकास कार्य हेतु के.सी.सी. लेने के लिए छूट दिये जाने के निवेदन का प्रश्न है। काश्तकार के कृषि विकास कार्य में अदालत का आदेश आड़े नहीं आये, इसलिए अपीलांट्स का उक्त निवेदन स्वीकार योग्य ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 725/2021 अनवान जीयाराम बनाम जोगाराम इत्यादि में पारित आदेश

19.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 20 जुलाई 2022 में अपीलांट्स को कृषि विकास कार्य हेतु केवल के.सी.सी. की छूट प्रदान करते हुए शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.9.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर